सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 14.10.2019

थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत हुए सनसनीखेज हत्याकाण्ड का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुरेन्द्र चौहान पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम परसहकपुरवा टिकरी थाना वजीरगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–387/19 धारा 302 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक–9/10.10.19 की रात्रि **अल्पना तिवारी पत्नी अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा** की हत्या कर उसके शव को गाँव के ही रामभूल कोरी के धान के खेत में डाल दिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे वादी वंशराज शुक्ला पुत्र अवधेश राज शुक्ला निवासी ग्राम बहादुरा (वीरापुर) थाना वंजीरगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर मु0अ0सं0– 387/19 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात थाना वजीरगंज पर दिनांक 10.10.2019 को पंजीकृत किया गया था। उक्त हत्याकाण्ड के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर द्वारा प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज संजय कुमार दुबे को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के अनुपालन में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा गंभीरता पूर्वक करते हुए शीघ्र इसका अनावरण किया गया। विवेचना के दौरान घटना में अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान उपरोक्त द्वारा कारित किया जाना प्रकाश में आया। अभियुक्त सुरेन्द्र चौहान उपरोक्त को आज दिनांक 14.10.2019 को किशुनदासपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अपनी पत्नी को भगाने व बाबा की जमीन चाचा के नाम किये जाने में मृतका की गवाही के कारण उसकी हत्या करना स्वीकार किया। मामले में अभियुक्त का डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. संजय कुमार दुबे प्र0नि0 थाना वजीरगंज गोण्डा।
02. व0उ0नि0 राम अशीष यादव।
03. उ0नि0 अंकुर वर्मा।
04. उ0निं0 जितेन्द्र कुमार।
05. उ0नि0 प्रमोद कुमार।
06. हे0का0 विजय शंकर राजभर।
07. हे0का0 लाल बहादुर सिंह।
08. का0 मनीष कुमार दूबे।
09. का0 अरुण कुमार यादव।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 14.10.2019

कर्नलगंज क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा, लड़की को सुतली पटाखा से घायल करने वाले दो चोर गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दुर्गेश पासवान पुत्र कन्छेद निवासी गंदौरा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
02. मनोज निषाद पुत्र मंशाराम निवासी परसानहर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।

बरामदगी–

चोरी का कुल रुपये 2460/–

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–374/19 धारा 458/380/411 भा0द0वि0 थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त मनोज निषाद का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0– 152/19 धारा– 457/380/411 भा0द0वि0 थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।
02. मु0अ0सं0– 153/19 धारा– 380/411 भा0द0वि0 थाना जरवल रोड जनपद बहराइच।

संक्षिप्त विवरण–

दिंनाक 10/11.10.19 की रात थाना कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मसौलिया बैशनपुरवा में कुछ घरों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना की गयी थी जिसमे वादिनी शालिनी सिंह द्वारा एक चोर को पकड़ लिया गया था किन्तु सुतली के पटाखे से वादिनी को घायल कर चोर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध में वादिनी शालिनी सिंह पुत्री संजय सिंह द्वारा थाना कोतवाली कर्नलगंज में मु0अ0सं0– 374/19 धारा 458/380/411 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर द्वारा प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज को निर्देशित किया गया था। घटना में सम्मिलित अभियुक्तों में से 02 उपरोक्त अभियुक्तों को आज दिनांक 14.10.19 को मुखबिर की सूचना पर भूलियापुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से अभियुक्त दुर्गेश उपरोक्त के पास से चोरी के रूपये 1200/– व अभियुक्त मनोज निषाद उपरोक्त के पास से रूपये 1260/– बरामद हुए। अभियुक्तों को मा० न्यायालय भेजा गया। एक अन्य अभियुक्त लल्लू पुत्र रामफेर निवासी गुमदहा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा का नाम भी प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. श्री सुनील कुमार सिंह चौकी प्रभारी भम्भुआ।
02. का0 मुनव्वर अली।
03. का0 अनिल।
04. का0 विरेश पाल।

गौवंश निवारण अधिनियम में 04 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सद्दीक पुत्र महिकम निवासी बेलहवा जंगल बिहुली पीपीगंज गोरखपुर।
02. सलीम पुत्र बेचू निवासी बेलहवा जंगल बिहुली पीपीगंज गोरखपुर ।
03. सलीम उर्फ मोनू पुत्र मोहादुर उर्फ रहमतुल्ला निवासी पकड़ी खुर्द कोतवाली महाराजगंज ।
04. राजू पुत्र अजीमुल्ला निवासी गौरा पांडे परसुरामपुर बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0स0– 287/19 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।
मु0अ0सं0– 288/19 व 289/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

थाना छपिया जनपद गोण्डा में चार गोवंश, एक अदद पिकप, दो अदद चाकू दबिश देकर छपिया पुलिस द्वारा बरामद किया गया

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा में अपराध व अपराधियों के रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना छपिया पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 14.10.19 मुखबिर खास की सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना छपिया द्वारा मय फोर्स के दबिश देकर चार गोवंश, एक पिकप व दो अदद चाकू को छपिया पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायलय भेजा गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्याम बहादुर सिंह।
उ०नि० सुशील कुमार सिंह।
उ०नि० अरुण कुमार राय।
उ०नि० डोरी लाल गंगवार।
उ०नि० कामेश्वर राय।
का० अखिलेश राय।
का० चेतन पांडे।
का० ब्रजानंन्द विश्वकर्मा।
का० खुर्शिद खां।
का० दीपक कुमार।
का० अंगद यादव।